

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.10.2021

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनूप कुमार पुत्र जीतराम नि0 कोल्हुआ गोसेन्द्रपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—349 / 21, 02. गीता देवी पत्नी महेश उर्फ चॉदे नि0 तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—350 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रवि सैनी पुत्र शेषराम नि0 ग्राम बनकटरा दिनारा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—255 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रमेश पुत्र रामचन्द्र नि0 पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद कर मु0अ0सं0—283 / 21, धारा 60 / 72 आबकारी अधि0, 02. सुकई पुत्र अहदु नि0 ककरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद कर मु0अ0सं0—284 / 21, धारा 60 / 72 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाल किशुन उर्फ बोरा पुत्र सेवक नि0 कलहंशन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—231 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दीपक निषाद पुत्र ओम प्रकाश नि0 गायत्रीपुरम निकट चॉदनी शाह मजार, सिविल थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—790 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कालीचरन सिंह उर्फ रिन्शु सिंह पुत्र बाबादीन सिंह निरो ग्राम नरायनपुर जयसिंह थाना परसपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-294 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मतई पुत्र स्व० बृजलाल निरो खिरिया कालोनी थाना वजीरगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-385 / 21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.10.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को 0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त राजा उर्फ बटन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 38 अदद अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को 0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजा उर्फ बटन पुत्र स्व0 अजीज नि0 मोहल्ला महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—791/21, धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एकट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. अल्प्राजोलम की 38 टेबलेट।

गिरफ्तार कर्ता—

उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल मय टीम।

